P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

छत्तीसगढ़ के पंचायतीराज व्यवस्था में जनजाति महिलाओं का नेतृत्व : एक अध्ययन

विजय कुमार साहू
पूर्व शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग
(पं0 रवि शंकर शुक्ल वि0वि0)
दुर्ग, छत्तीसगढ़,

सारांश

लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से महिलाओं को सभी अवसरों से पूर्ण भागीदारी एवं उनको दायित्व, अधिकार, मानवीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्थितिगत उन्नयन से सशक्तिकरण अवधारणा का संबोध होता है। पंचायती इसकी कुंजी अवधारणा है जो भारत में 73वें संविधान संशोधन के जरिये–लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। विकेन्द्रीकरण की बस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों की नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ है, विशेषकर पिछड़े वर्गों तथा महिला नेतृत्व की दिशा में पंचायतराज व्यवस्था के तीन स्तरीय ढांचे में सहभागिता को समानता से लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं को ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत में एक तिहाई स्थान आरक्षण के जरिये प्रावधान हुआ यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। पंचायतीराज के जमीनी यथार्थ को प्रकट करने वाला पुरूष वर्चस्व सवर्ण सामंतवाद के दबाव से मुक्त करने वाला विकास की संकल्पना से संबद्ध आज विकास के सभी प्रयत्नों का एक ही उद्देश्य है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। इसमें समाज का उपेक्षित भाग लक्ष्य समुह होता है। छत्तीसगढ़ के जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न आज अंर्तराष्ट्रीय महत्व का है। अन्य समस्याओं को छोड़कर महिलाओं के राजनैतिकीकरण एवं राजनैतिक सत्ता का निर्माण प्रकिया के केन्द्र में पहुंचने जैसे अहम प्रश्नों पर संपूर्ण विश्व में बहस छिड़ी हुई है। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की होने के बावजूद निर्वाचित पदों पर उनकी संख्या लगभग नगण्य है। राजनीति में महिलाओं की निम्न भागीदारी उनके दोयम दर्जे और शक्तिहीनता का परिचायक है। अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक रीति–रिवाज, परम्पराएं एवं पितृसप्तामक दृष्टिकोण महिलाओं की राजनैतिक निष्क्रियता के मूल आधार है। महिलाएं विश्व में दो तिहाई कार्यों का निष्पादन करती है परन्तु वे मात्र दस प्रतिशत आय और एक प्रतिशत उत्पादन के साधनों की अधिकारी बनती है।

मुख्य शब्द : राजनैतिकीकरण, विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक, सशक्तिकरण

प्रस्तावना

भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का मुख्य परिणाम ग्रामीण नेतृत्व के होने वाला परिवर्तन है। वास्तविकता यह है कि किसी भी संगठन की सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस संगठन की शक्ति संरचना को समझना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि संगठन में शक्ति संरचना के अनुसार ही विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण होता है। भारत में ग्रामीण स्तर पर संगठन में बहुत प्राचीनकाल से ही व्यक्तियों की परिस्थितियों का निर्धारण वहां की शक्ति संरचना के आधार पर होता रहता है। जब कभी भी नेतृत्व की प्रवृत्ति बदलती है तो संगठन में शक्ति आधार भी बदलने लगते हैं। कुछ समय पूर्व तक जब गांवों में जाति और धर्म पर आधारित आनुवांशिक नेतृत्व की प्रधानता दी तब ग्रामीण शक्ति संरचना में जाति पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी लेकिन जैसे–जैसे आनुवांशिक नेतृत्व के स्थान पर लोकतांत्रिक नेतृत्व का महत्व बढ़ने लगा। गांवों की राजनीति व सामाजिक संरचना में भी व्यापक परिवर्तन होन लगा। महिला नेतृत्व के पश्चात तो स्थिति और भी परिवर्तित हो गई जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः घर और परिवार तक सीमित था अब वह खुले मंचों की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसके राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव भी हमें ग्रामीण समाज में देखने को मिला।

प्रस्तावित शोध पद्धतियाँ

प्रस्तावित शोध हेतु सामग्री एवं सूचनाओं का संग्रहण दो प्रकार से किया गया।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार करना, उत्तरदाताओं का साक्षात्कार, सैम्पलिंग करना, अभ्यर्थियों व मतदाताओं से संपर्क किया गया। जिसमें संभावित शोध स्त्रोत छत्तीसगढ़ के जनजातियों क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त कर अवलोकन व सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा।

द्वितीय स्रोत

द्वितीय स्त्रोत के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र–पत्रिकाएं पुस्तकें, लेख शोधग्रंथ क्षेत्रीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट इंटरनेट से प्राप्त सामग्री इत्यादि का संकलन एवं अवलोकन करना सम्मिलित है।

शोध के प्रमुख उद्देश्य

प्रस्तुत अध्याय में जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतीराज और जनजातीय महिलाओं में नेतृत्व पंचायतीराज व्यवस्था के लागू होने के बाद जनजातीय महिलाओं नेतृत्व की स्थिति छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म अध्ययन करना प्रस्तावित है। प्रस्तुत अध्ययन के निम्न तीन उद्देश्य :–

1. नेतृत्व की अवधारणा एवं अनुसूचित जनजाति।
2. जनजातीय महिलाओं में राजनैतिक चेतना।
3. राजनीतिक दलों में अनुसूचित जाति महिलाओं का नेतृत्व।

शोध परिकल्पनाएँ

1. अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की भूमिका।
2. अशिक्षित वर्ग की अपेक्षा शिक्षित वर्ग का नेतृत्व का अधिक अवसर प्राप्त होता है।
3. ग्रामीण जनताति महिलाओं के दौरान अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. नेतृत्व से अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होता है।

दलीय आधार से संबंधित राजनैतिक दलों से संबंधित है। उनमें मुख्यरूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख है। पंचायतों में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं में नेतृत्व पंचायत प्रतिनिधि के रूप में लगभग अधिकांश उत्तरदाता द्वारा अपने क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं को दूर करने के लिए मूलभूत समस्याओं हेतु राजनैतिक दलों का प्रमुख प्रयास रहा है। इन राजनैतिक दलों के माध्यम से महिलाएँ अपने कार्यों को अंजाम देती है।

नेतृत्व की अवधारणा एवं अनुसूचित जनजाति

भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का मुख्य परिणाम ग्रामीण जनजातिय क्षेत्रों के जनजातिय महिलाओं में नेतृत्व होने वाला परिवर्तन है। इसका कारण यह है कि समुदाय में नेतृत्व शक्ति संरचना के आधार पर होता रहा है। महिलाएँ गांव की राजनैतिक, सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन होने लगा है। महिला जनजातिय नेतृत्व और गैर जनजातिय नेतृत्व के पश्चात तो स्थिति और भी परिवर्तीत हो गई। जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः वनों और गांवो तक सीमित था अब तो वह खुले मंचो की ओर आने लगी है। नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है चाहे वह जनजातीय नेतृत्व हो या गैर जनजातिय नेतृत्व हो वही समाज भी है और जहां समाज है वहां नेतृत्व के दर्शन होते है। जहां तक समाज जनजातियों का प्रश्न है यह सच है कि प्राचीन समाज में जनजातियों की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर बहुत कम ही प्राप्त हुआ है। लेकिन जब भी नेतृत्व की बात आती है तो उसके नेतृत्व का लोहा समाज ने माना है। पंचायती व्यवस्था में जनजातीय महिला, गैर जनजातीय महिलाओं से संबंधित है। ग्राम पंचायत भारतीय समाज का आधार स्तंभ और केन्द्र बिन्दू है। जहां से राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वार खुलते हैं। जनजातीय महिला नेतृत्व करती हैं। जिससे कुछ गैर जनजातीय महिला भी नेतृत्व कर रही है।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं में राजनैतिक चेतना

छत्तीसगढ़ की जनजातियों महिलाओं में राजनैतिक परिवर्तन का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन की प्रकृति व प्रवृत्ति शहरी व ग्रामीण महिलाओं में भिन्न–भिन्न है। यद्यपि यह सत्य है कि महिलाओं की सामाजिक राजनैतिक जागरूकता में पिछले एक दशक में भारी परिवर्तन आया है। इनका रहन सहन का स्तर पहले से काफी उच्च हो गया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, विवाह विच्छेद, जाति भेद आदि को ये बेकार समझने लगी है। जाति नियमों एवं रूढिवादी सामाजिक बंधनो से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्नशील लगी है। अपने अधिकारों व दायित्वों का बोध उन्हें होने लगा है साथ ही बदलते हुए सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश के साथ–साथ अपने आप को ढालने का भी प्रयास कर रही है। नेतृत्व की आंशिक सक्रियता एवं भागीदारी के कारण ग्रामों का परिदृश्य बदल रहा है एवं निश्यित रूप से ग्रामीण समाज में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी ग्रामीण समाज में राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पुरानी मान्यताओं, पुराने विश्वास, पुरानी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पुरानी मान्यताओं पुराने विश्वास, पुरानी प्रक्रिया आदि के बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं। नवीन विचारधाराओं एवं मान्यताओं का अविरभाव होता जा रहा है। ग्रामीण समाज में राजनैतिक उदासीनता धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। धीरे–धीरे लोगों की राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि होती जा रही है एवं राजनैतिक चेतना आ रही है।

राजनैतिक दलों में आदिवासी महिला नेतृत्व

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चुनाव या विधायिका जैसे मंचों से जुड़ी औपचारिक राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत सीमित रही है। स्वशासन और लोकतंत्र में चुनाव एक मंच भी है और इन संस्थाओं का माध्यम भी इसलिए वंचित और अभावग्रस्त तबकों की समस्या की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में चुनाव का जितना महत्व है उतना ही महिला नेतृत्व का है। भारतीय राजनीति में अनुसूचित जनजाती महिलाओं की

हिस्सेदारी न केवल उम्मीद्वार के रूप में बल्कि मतदाता के रूप में बहुत सीमित रही है। जिसका कारण स्वतंत्र मतदान नही होना। शिक्षा का अभाव रहा है लेकिन स्थितियॉं धीरे–धीरे बदलती जा रही है। अब हम आज विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं किन्तु हमारी संसद, विधानसभा और विधानमंडलों में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी कम है। विधायिका में महिला आरक्षण के लिये विभिन्न ताकत उठाती रही है लेकिन यह कटु सत्य है कि अभी तक लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं का नेतृत्व का प्रतिशत कम है। जबकि आदिवासी महिला नेतृत्व बहुत कम है। भारत में राजनैतिक दलों में महिलाओं की नेतृत्व की स्थिति काफी दयनीय है वरन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि पदों पर महिला का नेतृत्व हुआ है परन्तु आदिवासी नेतृत्व की स्थिति नगण्य है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतीराज और जनजाति महिलाओं के नेतृत्व विषय पर आधारित है। पंचायतीराज व्यवस्था एवं शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति महिलाओं को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत (पंच/सरपंच) के पदों पर आरक्षण के प्रावधान के फलस्वरूप उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है। जिसमें परिणामतः ग्रामीण छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं में राजनैतिक नेतृत्व उभरने लगा। जिसमें महिलाऍं अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक होने लगी है एवं अधिकार के प्रति भी जागरूक होने लगी है। महिलाओं के नेतृत्व में आने से उनकी सामाजिक स्थिति उच्च हुई है तथा उनकी जागरूकता में वृद्धि हुई है। महिलाऍं जनप्रतिनिधियों के हार की चौखटों से पंचायतीराज मंच तक आने में सफल हो रही है यदि हम व्यावहारिक मूल्यांकन करें तो परिणाम बहुत आशाजनक नही कहा जा सकता। राजनैतिक संस्करण, राजनैतिक आधुनिकीकरण, राजनैतिक सामाजीकरण, राजनैतिक चेतना, राजनैतिक विकास जैसे पहलुओं पर उनकी भूमिका प्रश्नवाचक चिन्हों के दायरे में है।

सुझाव

जनजातिय अंचल की आदिवासी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विशेष कार्यक्रम के द्वारा बनाये जाये। पंचायतों के माध्यम से महिला मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए ताकि महिला जनप्रतिनिधियों के सामने आम महिलाऍं खुलकर अपनी समस्या प्रस्तुत कर सके। आदिवासी एवं आदिवासी महिलाओं में अज्ञानता, अशिक्षा, संकीर्ण विचारधारा, अंधविश्वास उनके मार्ग की प्रमुख बाधा है। उनके निवारण के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षा प्रचार को जनआंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समस्या विकास का प्रमुख बाधक तत्व है। उससे त्वरित समाप्त करने का समाधान किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास और व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *बी.पी. भदौरियाएव बी.के. दुबे पंचायत एण्ड डेवलपमेंट कामनवेल्थ पब्लिकेशन नई दिल्ली।*
2. *नदीम हुसैन– जनजातीय भारत रावत पब्लिकेशन जयपुर।*
3. *शर्मा बी.डी. आदिवासी विकास एवं सैंद्धातिक विवेचन, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।*
4. *कुरूक्षेत्र पत्रिका दिसंबर 2008 जनजातीय एवं उनका संरक्षण नई दिल्ली।*
5. *डॉ. विरेन्द्र सिंह यादव–इक्कीसवीं सदी महिला सशक्तीकरण 2012 ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली।*
6. *संपादक नीलम कुलश्रेष्ठ – धर्म की बेड़िया खोल रही है औरत–समीक्षा नीतू सिंह–सरिता प्रथम अंक 2008 पृ. 115*
7. *सामाजिक समस्याएं – राम आहुजा रावत पब्लिकेशन जयपुर।*
8. *अरूण सिंह – जनजातीय समाज में स्त्रियॉं ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली।*
9. *डॉ.धर्मवीर सिंह महाजन एवं कमलेश महाजन ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र विवके प्रकाशन नई दिल्ली।*
10. *डॉ.हीरालाल शुक्ल – आदिवासी विकास और अस्मिता म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।*